न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 78/2018

उनवान

गणेश पुत्र भैरू जाति रेगर नि0 कानपुरा, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 4.2.19

प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के यहा से इन निर्देशों के साथ प्राप्त हुआ है कि वाद व जवाब दावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये निर्णय पारित करे।

वाद के आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कानुपरा के वंर्किग खसरा नम्बर 1352 हिमन रकवा 5–0–0 जिसके हाल खसरा नम्बर 1.00 है0 है की आराजी वादी को दिनांक 13.5.89 को आवंटन की गयी थी। तब से आराजी मुतनाजा पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आवंटन आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 41 दिनांक 5.8.99 से वादी का नाम राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया गया। हाल खसरा नम्बर 1544 रकबा 1.00 है0 में से 0.80 है का वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

राज0 पैरारेकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी जो वादी को आवंटित हुयी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक खाते में दर्ज है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी को विधिवत आवंटित व कब्जे काश्त की है?
——वादी
2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है?
——वादी
3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में वादी गणेश के बयान दर्ज करवाये राजस्व अभिलेख व नियमन आदेश पेश किये।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी को विधिवत आवंटित हुयी है। उक्त आराजी का आवंटन आज तक निरस्त नही हुआ है। हाल राजस्व अभिलेख में भूमि सिवायचक होने के आधार पर वाद खारिज नही किया जा सकता है। कब्जा काश्त वादी का ही चला आ रहा है। अतः वाद स्वीकार किया जावे।

राज0 पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। वादी को पूर्व में भी उक्त आराजी में गैर खातेदारी से खातेदारी के अधिकार नही मिले थे। अतः वाद खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

ग्राम कानपुरा के वंर्किग खसरा नम्बर 1352 मिन रकबा 5–0–0 आराजी वादी को दिनांक 31.5.89 को आवंटित हुयी थी। नामान्तकरण संख्या 41 दिनांक 5.8.99 द्वारा उक्त आराजी पर वादी को गैर खातेदारी दी गयी जो प्रदर्श 5 नामान्तकरण से स्पष्ट है। उक्त नामान्तकरण के आधार पर वंर्किग जमाबंदी प्रदर्श 3 में वादी को खसरा नम्बर 1352 रकबा 5–0–0 पर गैर खातेदार घोषित किया गया। नामान्तकरण संख्या 41 के कालॅम 14 में अंकित हैं कि "श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर के पत्र कंमाक 5022 दिनांक 9.7.99 व श्रीमान् तहसीलदार साहब के आदेश कंमाक भू.अ./99/2/92 दिनांक 9.7.99" साथ ही उक्त नामान्तकरण में मौके पर कब्जा सम्भलाने का कथन भी अंकित है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि वादी को उक्त आराजी विधिवत आवंटित हुयी व उसके बाद नियमानुसार कब्जा सम्भला कर नामान्तकरण द्वारा उक्त आराजी पर गैर खातेदारी दर्ज की गयी। वादी को हुये उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया गया हो अथवा वादी ने आवंटन शर्तो की पालना नही की हो इसके समर्थन में राज0 पैरोकार ने कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किया है। उक्त आवंटन आदेश के विरूद्व कोई 14 (4) की कार्यवाही नही हुयी है। वादी के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को आज दिवस तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गयी है। साथ ही उक्त आवंटन निरस्त होने का काई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी जो वादी को दिनांक 31.5.89 को आवंटित की गयी का आवंटन आज दिवस तक कायम है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक आंवटन के निरस्त करने की कार्यवाही नही होती तथा सक्षम न्यायालय में आवंटन को चुनौती नही दे दी जाती है तब तक आवंटन बहाल रहता है। वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 1544 बने है जो राजस्व अभिलेख में सिवायचक खाते में दर्ज है। उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज करनी चाहिये थी जो बदोंबस्त विभाग ने बिना किसी अधिकार के सिवायचक दर्ज कर दी है।

राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादी के नाम दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादी का वाद खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के आवंटन व तत्कालीन राजस्व अभिलेख में की गयी पालना के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिसके आधार पर बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादी के नाम में से हटायी है। आराजी मुतनाजा पर वादी का ही कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी पूर्व राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार के रूप में

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

दर्ज था उसे खातेदारी नही मिली थी। अतः उसी अनुरूप हाल राजस्व अभिलेख में वादी गैर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम कानुपरा के हाल खसरा नम्बर 1544 रकबा 1.00 है0 में से 0.80 है0 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

गणेश बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि.1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 107/2013
पेश करने की दिनांक – 6.11.18 पुनः दर्ज

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम कानुपरा के हाल खसरा नम्बर 1544 रकबा 1.00 है0 में से 0.80 है0 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक का अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह 02 सन् **2019** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner